नाबालिगों की संरक्षकता

प्रलिम्सि के लयि:

नाबालगिों की संरक्षकता, जनहति याचकिा, स्थायी खाता संख्या, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 14, हदिू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधनियिम, मुस्लमि व्यक्तगित कानून आवेदन अधनियिम, भारत का वधि आयोग।

मेन्स के लयि:

सरकारी नीतयिाँ और हस्तक्षेप, बच्चों से संबंधति मुद्दे, नाबालगिों की संरक्षकता और संबंधति कानून।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय में एक **जनहति याचकिा (PIL)** द्वारा मांग की गई कि सिभी दस्तावेज़ों में पति के साथ माता के नाम का भी उल्लेख होना चाहयि।

- हाल के दनिों में **पासपोर्ट और स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड** के नयिमों में बदलाव कयि गए हैं, जो एक आवेदक को अपनी माता का नाम प्रस्तुत करने की अनुमतदिेता है यदवि सगिल पैरेंट (Single Parent) है।
- लेकनि जब बात स्कूल सर्टफिकिेट और अभभािवक के रूप में पति के नाम पर ज़ोर देने वाले कई अन्य दस्तावेज़ों की आती है तो यह एक परेशान करने वाला मुद्दा बना रहता है।
- **पैन (PAN)** देश में वभिन्नि करदाताओं की पहचान करने का एक साधन है।

सगिल पैरेंट वाले लोगों को पासपोर्ट और पैन कार्ड जारी करने संबंधी नयिम

- **पासपोर्ट:** दसिंबर, 2016 में वदिेश मंत्रालय ने पासपोर्ट जारी करने के अपने नयिमों को उदार बनाने से संबंधति कई कदम उठाए।
  - तीन सदस्यीय समतिकिी सफिारशिों के बाद कुछ बदलाव कयि गए थे, जसिमें **वदिेश मंत्रालय और महलिा एवं बाल वकिास मंत्रालय** शामलि थे, जन्होंने तलाक के बाद या गोद लेने के मामले में बच्चों के लयि पासपोर्ट से संबंधति वभिन्नि चतिाओं की जाँच की थी।
  - परवि्रतनों के बाद **आवेदक पति और माता दोनों का ववि्रण प्रदान करने के बजाय माता-पति में से कसिी एक का नाम प्रदान** कर सकते हैं।
  - नए पासपोर्ट आवेदन फॉर्म में आवेदक को तलाकशुदा होने पर अपना या अपने पतयिा पत्नी का नाम प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है और न ही तलाक की डक्रिी प्रदान करने की आवश्यकता है।
- **PAN (पैन):** नवंबर 2018 में **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड** ने आयकर नयिम, 1962 में संशोधन कयि, ताकमिाता के सगिल पैरेंट (Single Parent) होने पर पति का नाम अनवािर्य न हो।
  - नया पैन आवेदन फॉर्म में पति के साथ माता के नाम की भी ज़रूरत होती है।
  - यह आवेदक की इच्छा पर नर्भिर है कउिसे पैन कार्ड पर अपने पति और माता में से कसिका का नाम चाहयि।

देश में संरक्षकता कानून:

- **हन्दिू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधनियिम:**
  - भारतीय कानून नाबालगि (18 वर्ष से कम आयु) की संरक्षकता के मामले में पति को वरीयता प्रदान करते हैं।
  - हदिुओं के धार्मकि कानून या हदिू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधनियिम, (HMGA) 1956 के तहत नाबालगि या संपत्तकिे संबंध में एक हदिू नाबालगि का प्राकृतकि अभभािवक "पति होता है तथा उसके बाद माता का अधकिार है।
    - बशर्ते कएिक नाबालगि की कस्टडी जसिकी पाँच वर्ष की उम्र पूरी नहीं हुई है, सामान्यत मां के पास होगी।
- **मुस्लमि पर्सनल लॉ (शरीयत) अनुप्रयोग अधनियिम, 1937**:
  - मुस्लमि पर्सनल लॉ (शरीयत) अनुप्रयोग अधनियिम [The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937] के अनुसार, संरक्षकता के मामले में शरीयत या धार्मकि कानून लागू होगा, जसिके अनुसार जब तक बेटा सात साल की उम्र पूरी नहीं कर लेता है

और बेटी प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेती है तब तक पिता प्राकृतिक अभिभावक है, हालाँकि पिता को सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है।
  - मुस्लिम कानून में अभिरक्षा या 'हिजानत' (Hizanat) की अवधारणा में कहा गया है कि बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है।
  - यही कारण है कि मुस्लिम कानून बाल्यावस्था (Tender Years) में बच्चों की कस्टडी के मामले में पिता के स्थान पर माता को वरीयता प्रदान करता है।
- **सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:**
  - वर्ष 1999 में गीता हरिहरन बनाम **भारतीय रिज़र्व बैंक** मामले में **सर्वोच्च न्यायालय** के ऐतिहासिक फैसले ने आंशिक राहत प्रदान की।
  - इस केस में HMGA को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत लैंगिक समानता की गारंटी के उल्लंघन के लिये चुनौती दी गई थी।
    - अनुच्छेद 14 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा।
  - न्यायालय ने माना कि "बाद" शब्द का अर्थ "पिता के जीवनकाल के बाद" (After The Lifetime Of The Father) नहीं होना चाहिये, बल्कि "पिता की अनुपस्थिति में" (Absence Of The Father) होना चाहिये।
  - लेकिन यह निर्णय माता-पिता दोनों को समान अभिभावक के रूप में मान्यता देने में विफल रहा, जिसने पिता की भूमिका के लिये एक माँ की भूमिका को अधीन कर दिया।
  - हालाँकि यह फैसला अदालतों के लिये एक मिसाल कायम करता है, लेकिन इससे HMGA में कोई संशोधन नहीं हुआ है।
- **भारतीय विधि आयोग :**
  - भारतीय विधि आयोग ने मई 2015 में "भारत में संरक्षकता और अभिरक्षा कानूनों में सुधार" पर अपनी 257वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि:
    - यह एकल माता-पिता के साथ एकल बाल अभिरक्षा के विचार से असहमत था।
    - माता और पिता दोनों को एक साथ एक अवयस्क के प्राकृतिक अभिभावक के रूप में माना जाना चाहिये।
    - इसने संयुक्त अभिरक्षा के लिये HMGA और GWA में संशोधन हेतु तथा इस तरह की संरक्षकता, बाल सहायता और मुलाकात व्यवस्था से संबंधित दिशा-निर्देशों की विस्तृत सिफारिशें की।

प्रमुख चिंता:

- हालाँकि वैवाहिक विवाद में न्यायालय माँ को बच्चे की कस्टडी प्रदान करने का अधिकार दे सकता हैं परंतु कानून में संरक्षकता मुख्य रूप से पिता के पास है और यह विरोधाभास इस बात पर प्रकाश डालता है कि माता को देखभाल करने वाले के रूप में माना जाता है, लेकिन बच्चों के लिये निर्णय लेने वालों के रूप में नहीं।

आगे की राह

- विभिन्न सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिये अपने नियमों में सक्रिय रूप से संशोधन करना चाहिये कि वे गीता हरिहरन फैसले के अनुरूप हैं क्योंकि कानूनों में संशोधन एक चुनौतीपूर्ण अभ्यास हो सकता है।
- जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक लोगों को राहत के लिये अदालतों का चक्कर लगाना पड़ता है।

विगत वर्षों के प्रश्न

एक कानून जो कार्यपालिका या प्रशासनिक प्राधिकरण को किसी मामले में अनिर्देशित और अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है?

(a) अनुच्छेद 14
(b) अनुच्छेद 28
(c) अनुच्छेद 32
(d) अनुच्छेद 44

उत्तर: (a)

स्रोत: द हिंदू